

**अभियंता प्रमुख का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना।**

सकारण आदेश

ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, नरकटियागंज के अधीन योजनाशीर्ष 3054 के अन्तर्गत बेतिया से परसा पथ के निर्माण कार्य संवेदक **Vijay Raj Mewar Construction Company Pvt. Ltd.** (निबंधन संख्या-1190016) **At-Madhubani Tola, Banbairiya, Rangialahi, Anchal-Madhubani, Dist.-West Champaran, Bihar, Pin- 845101** को आवंटित था, जिसका एकरारनामा सं०-65/SBD/2019-20 है।

वर्णित पथ के निर्माण कार्य एकरारनामा के एकरारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण नहीं किये जाने के फलस्वरूप विभागीय पत्रांक-3569 दिनांक-11.07.2023 के द्वारा डिबार/डिफॉल्टर घोषित कर अगली निविदा में भाग लेने से वंचित किये जाने से संबंधित अनुशांसा की गयी थी।

उक्त आदेश के विरुद्ध संवेदक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना से **Civil Writ Jurisdiction Case No-14521 of 2023** दायर किया गया, इस वाद में माननीय न्यायालय में दिनांक-12.05.2023 को अंतरिम आदेश पारित किया गया है, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

Ordinarily, writ petition is not maintainable against show cause notice unless and until it is issued by incompetent authority or contrary to any statutory rules as held by the Apex Court in the case of Union of India and Another v. Kunisetty Satyanarayana reported in (2006) 12 SCC 28 and Seceretary, Ministry of Defence and others v. Prabhash Chandra Mirdha reported in (2012) 11 SCC 565. The Principle laid down in the dforementioned decision is attracted in the present case to the extent that there is no source of power for debarring the petitioner under any statutory provision and the same has not been apprised by the respondents in the counter affidavit. In the counter affidavit they have produced Annexure-F Bihar Registration of Contractors Rules (Rural Works Department) 2007. Rule 11 of the aforementioned Rules provides for blacklisting and suspension and not for debarment. Therefore, on this ground, the petitioner has made out a case to interference with the impugned show cause notice dated 11.07.2023. Accordingly, the impugned order dated 11.07.2023 (Annexure -P/5) stand set aside, reserving liberty to the concerned respondent to initiate appropriate proceedings with reference to relevant statute of executing order read with the status of the petitioner and related work. If there are any provision or the Rules, 2007 cited supra is applicable to the present case the concerned authority is hereby directed to undertake fresh exercise within a period of three months and proceed in accordance with law.

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा **CWJC No-14521 of 2023** में दिनांक-09.11.2023 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता संवेदक **Vijay Raj Mewar Construction Company Pvt. Ltd.** (निबंधन संख्या-1190016), **At-Madhubani Tola, Banbairiya, Rangialahi, Anchal-Madhubani, Dist.-West Champaran, Bihar, Pin- 845101** को विभागीय पत्रांक-3569 दिनांक-11.07.2023 के द्वारा निर्गत स्पष्टीकरण को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।

(अमरेन्द्र कुमार सिन्हा)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त

-सह-विशेष सचिव

/पटना, दिनांक:- 23/01/2024

ज्ञापक:-14/अ0प्र0-02-319/2023 ~ 299

प्रतिलिपि:-अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/नगर विकास विभाग, बिहार, पटना/उर्जा विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग, बिहार, पटना/पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना से सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त

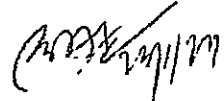
-सह-विशेष सचिव

(21)

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-02-319/2023 - 299

/पटना, दिनांक:- 23/01/2024

प्रतिलिपि:-सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी नोडल पदाधिकारी (मु0), ग्रामीण कार्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-02-319/2023 - 299/

/पटना, दिनांक:- 23/01/2024

प्रतिलिपि:-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-14/आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।।

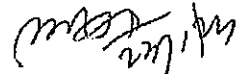


अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक:-14/अ0प्र0-02-319/2023 - 299

/पटना, दिनांक:- 23/01/2024

प्रतिलिपि:-संवेदक Vijay Raj Mewar Construction Company Pvt. Ltd. (निबंधन संख्या-1190016), At-Madhubani Tola, Banbairiya, Rangialahi, Anchal-Madhubani, Dist.-West Champaran, Bihar, Pin- 845101 को सूचनार्थ प्रेषित।



अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त
-सह-विशेष सचिव

